

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

[ ग.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136

No. 148]

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

[N.C.T.D. No. 136

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

सं.फा.16(220)/श.वि./जल/2001/1246.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अधीन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिनांक 17.4.2001 के संकल्प संख्या 871 द्वारा अनुमोदित दिल्ली जल बोर्ड में सहायक वायरलैस ऑपरेटर के पद हेतु भर्ती पद्धति के संबंध में बनाए गए भर्ती विनियम एतद द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- इन विनियमों को सहायक वायरलैस ऑपरेटर दिल्ली जल बोर्ड भर्ती विनियम 2015 कहा जाए।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे/वेतनमान** :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन विनियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव:**— इन विनियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**“अनुसूची”**

1.	पदनाम	:	सहायक वायरलैस ऑपरेटर
2.	पदों की संख्या	:	10 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी “ग”
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेतन समूह-1, 5200-20200 / -रुपये (ग्रेड पे 1900 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये छूट)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	<u>अनिवार्य</u> 1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण 2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड अर्थात् वॉयरलैस ऑपरेटर में आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र 3) किसी मान्यता पत्र संस्थान से संबंधित ट्रेड अर्थात् वॉयरलैस ऑपरेटर में एन.ए.सी / एन.टी.सी. प्रमाण-पत्र <u>वांछनीय</u> सरकारी संगठन / उपक्रम में वायरलैस प्रचालन / रेडियो टेलीफोन प्रचालन में एक वर्ष का अनुभव तथा गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा निदेशालय का संचार पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो अथवा महानगर टेलीफोन निगम लि० का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति स्थाईकरण हेतु 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) - अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल) - सदस्य 3. सी एस ओ - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर सी केसरवानी, सहायक निदेशक ( जल )

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 5th November, 2015

No. F.16(220)UD/W/2001/1246.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of sub-section (2) of Section 109 read with Sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide resolution No. 871 dated 17.04.2001, regarding the method of Recruitment to the post of Assistant Wireless Operator in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published namely:-

1. **Short title and commencement.** - These regulations may be called the Assistant Wireless Operator in the Delhi Jal Board Recruitment Regulations, 2015.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/ scale of pay-** The number of posts, their classification and pay band & Grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -**  
The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications:** - No person-
  - (a) Who has entered or contracted a marriage with person having a spouse living ; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Wireless Operator	10(2015) subject to variation dependent on work load.	Category 'C'	PB-1 Rs. 5200-20,200 With Grade Pay of Rs. 1900/-.	Non Selection	Between 18 to 27 years (relaxable for Government servant and employees and of Delhi Jal Board in accordance with the orders/ instructions issued by the Central Government).

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion/deputation/absorption & % of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b>            (i) Matric pass from a recognized Board/University.            (ii) ITI Certificate in the concerned Trade i.e. Wireless Operator from recognized Institution or            (iii) NAC/NTC Certificate in the concerned trade i.e. Wireless Operator from a recognized Institution.  <b>Desirable:</b> One year experience in Wireless Operation/Radio Telephone Operation in Government Organization/Undertaking and have successfully completed communication course of Home Guards and Directorate of Civil Defense or passed successfully training course of Mahanagar Telephone Nigam Limited.</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Category 'C' Departmental promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Director(A&P) - Chairman 2. E.E.(E&M) - Member 3. CSO - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,

R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

सतर्कता निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

सं.फा. 5/डीओवी/परि./4/7/2015/13245-13252.-जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 11.8.2015 की अधिसूचना सं.फा. 5/डीओवी/परि./4/7/2015/9386-9393 द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में सीएनजी (CNG) फिटनेस प्रमाण-पत्र संबंधी कार्य के अवार्ड तथा इस मामले की परवर्ती परिस्थितियों के सभी पक्षों की जांच के लिए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक स्वतंत्र जांच आयोग नियुक्त किया है।

और जबकि उक्त अधिसूचना द्वारा आयोग को जांच पूरी करने के लिये तीन माह का समय दिया गया था तथा आयोग की अवधि 10.11.2015 को समाप्त होनी थी।

और जबकि आयोग ने अपने सचिव के माध्यम से उनके दिनांक 15.10.2015 के पत्र द्वारा जांच की प्रगति के विषय में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आगे छह माह की अवधि के लिये समय बढ़ाने की मांग की है।

और जबकि स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का अभिमत है कि जांच पूरी करने के लिये आयोग को अधिक समय दिया जाना जनहित में समीचीन है।

अब इसलिए दिनांक 11.8.2015 की उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बढ़ाये गये समय के भीतर जांच पूरी करने और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये, आयोग की अवधि छह माह के लिये बढ़ाती है।

दिनांक 11.8.2015 की उपरोक्त अधिसूचना में यथाउल्लिखित आयोग के अन्य विचारणीय विषय यथावत रहेंगे।

के. एस. मीणा, उप-सचिव (सतर्कता)

**DIRECTORATE OF VIGILANCE**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th November, 2015

**No.F.5/DOV/Tpt./4/7/2015/13245-13252.**—Whereas, the Government of NCT of Delhi vide notification No. 5/DOV/Tpt./4/7/2015/9386-9393 dated 11/08/2015 appointed an Independent Commission of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 for inquiring into all aspects of the award of work related to CNG Fitness Certificate(s) in the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi and subsequent investigations and developments in the case.

And whereas, vide the above said notification, the Commission was given time of three months to complete the inquiry and the Commission's term was to come to an end on 10/11/2015.

And whereas, the Commission through its Secretary submitted status report about the progress of the inquiry vide its letter dated 15/10/2015 and sought extension of time for a further period of six months.

And whereas, Govt. of National Capital Territory of Delhi after perusal of the status report is of the considered view that it is expedient in the public interest to give more time to the Commission to complete its inquiry.

Now, therefore, the Govt. of National Capital Territory of Delhi is pleased to give extension of six months in continuation of the above said notification dated 11/08/2015, to the Commission to complete inquiry and submit the report to the Government, within the time so extended.

The other terms of reference of the Commission shall remain the same as mentioned in the above said notification dated 11/08/2015.

K.S. MEENA, Dy. Secy. (Vig.)

4717 Dg/15-2